

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 140/2024

उनवान

1. सीताराम पुत्र रता जाति अहीर नि० तखतपुरा तह०, तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. रतन लाल पुत्र चुना अहिर नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. देवीलाल पुत्र शोभा अहीर नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. शंकर पुत्र नानजी अहीर नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. नारायणी पत्नी कालू अहीर नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. भैरू लाल पुत्र कालू अहीर नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. माधु पुत्र चुन्नी अहीर नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. अन्नतदेव पुत्र मथूरा लाल पारीक नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. अरूण पुत्र मथूरा लाल पारीक नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. जगदीश पुत्र घीसू लाल पारीक नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
10. हरिशंकर पुत्र रूपलाल ब्राह्मण नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
11. भगवती लाल पुत्र मांगी लाल ब्राह्मण नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
12. शंकर लाल पुत्र मांगी लाल ब्राह्मण नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
13. भंवर लाल पुत्र सोहन ब्राह्मण नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
14. कैलाश पुत्र सीताराम अहीर नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
15. लक्ष्मण पुत्र सीताराम अहीर नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
16. सीमा देवी पत्नि कैलाश अहीर नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
17. नारू पुत्र लाला अहीर नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
18. देबी लाल पुत्र मांगू अहीर नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
19. शंकर पुत्र मांगू अहीर नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
20. नारायण पुत्र मांगू अहीर नि० तखतपुरा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 12.11.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 03.09.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम तखतपुरा तह० तखतपुरा भू०अ०नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 532 आ.न. 804 रकबा 0.6702 है०, आ०न० 811 रकबा 1.4162 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.09.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 1,4,5,6,9,12,14,15,16,17,18,19,20 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 2,3,7,8,10,11,13 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 2,3,7,8,10,11,13 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 2,3 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)



प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

--:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम तख्तपुरा प0ह0 तख्तपुरा भू0अ0नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 532 आ.न. 804 रकबा 0.6702है0, आ0न0 811 रकबा 1.4162है0, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 900/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 12.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।


(जेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

